

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला - भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना - प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर  
प्र. ई. रि. स. - 213/22 दिनांक - 31/5/2022
2. (अ) अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये - 7,7ए  
(ब) अधिनियम - धाराये - 120 B भा.द. स.  
(स) अधिनियम - धाराये -  
(द) अन्य अधिनियम - धाराये -
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या - 630 समय - 6.45 P.M.,  
ब. अपराध के घटने का दिन - दिनांक - 28.03.2022  
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.03.2022 समय - 11 ए.एम..
4. सूचना की किस्म - लिखित/मौखिक - लिखित।
5. घटना स्थल -  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बरुख उत्तर पश्चिम 10 किलोमीटर लगभग  
(ब) पता :- किशोर बाग आरपीटीसी जोधपुर।  
बीट संख्या जरायमदेही संख्या  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो  
पुलिस थाना जिला
6. परिवारी का नाम  
1. (अ) नाम -- कुंभाराम (ब) पिता/पति का नाम - श्री रेवताराम  
(स) जन्म तिथि/वर्ष - 45 वर्ष (द) राष्ट्रीयता - भारतीय  
(य) व्यवसाय - प्राईवेट (र) पता - गांव जेलू तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित-  
01. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जोधाराम जाति बिश्नोई उम्र 48 साल निवासी ग्राम सामराउ (भीमसागर) पुलिस थाना औसिया जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचु जिला जोधपुर ग्रामीण।  
02. श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)
8. परिवारी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कुछ नहीं
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां - शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पत्तियां का कुल मूल्य :-
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो) कोई नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट

Ag

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल  
यूनिट जोधपुर

विषय:- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने हेतु  
महोदय जी

निवेदन है कि मैं कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलू गगाड़ी तहसिल औसिया जिला जोधपुर हाल तहसिल तिवरी का रहने वाला हूँ। दिनांक 24.02.2022 को मैं और मेरा दुर का भाई प्रेमराम मेरे बेटी ललीता के ससुराल राजसागर चामू बेटी को मिलने गये था। जिस पर मेरी बेटी सास रेखा व जवाई अशोक ने हमारे साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस थाना देचू की चामू चौकी से महीपाल विश्णोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला। इस घटना का मुकदमा संख्या 50/2022 पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज करवाया मेरे वह मेरे भाइयो के विरुद्ध मेरी बेटी की सासू ने मुकदमा संख्या 48/2022 पुलिस थाना देचू में दर्ज करवाया। इन दोनों मुकदमों की अनुसंधान श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक कर रहे हैं। श्री महीपाल अनुसंधान अधिकारी ने मेरे प्रकरण में मदद करने वह हमारे विरुद्ध दर्ज प्रकरण में धारा कमजोर करने की एवज में मुझसे 50,000(पचास हजार) रुपये डरा धमकाकर मांगे गए जिस पर मैं उनके दबाव में आकर 15000/-रुपये केश दिये एवं श्री महीपालसिंह के कहने पर उनके दलाल के खाते में पैंटीएम से मैंने 6 मार्च 2022 को 4000/-एवं 8 मार्च 2022 को 20,000/-रुपये जमा करवाने पड़े। श्रीमान जी इसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी श्री महीपालसिंह मुझसे बार-बार रुपये की मांग कर रहा है एवं नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। मेरे साथ हुई मारपीट में दर्ज प्रकरण में कानूनी कारवाई करवाने एवम मेरे वह मेरे भाइयो के विरुद्ध दर्ज झुठे प्रकरण में सही अनुसंधान करवाने के लिए मैं श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना देचू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री महीपालसिंह से मेरे कोई दुश्मनी नहीं एवं ना ही कोई लेन-देन बकाया है कानूनी कारवाई करवाए। मुकदमा नम्बर 50/22 एवम 48/22 पुलिस थाना देचू की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवम मेरे आधार कार्ड की प्रति दे रहा हूँ। श्री महीपाल सिं के मो0 नम्बर 7014341578 से मेरे मो0 नम्बर 9001889623 पर हुई रिश्वत संबंधित वार्तालाप जो मेरे मो0 में रिकॉर्ड है उक्त रिकॉर्डिंग की सीडी पेश कर रहा हूँ।

भवदीय

दिनांक

28.03.2022

एसडी

( कुंभाराम )

पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल  
निवासी ग्राम जेलू तहसिल तिवरी  
जिला जोधपुर  
मो.नम्बर-9001889623

एसडी

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)

28/03/2022

एसडी

(प्रमोद पायक)

30/04/2022

एसडी

(जयेश गण्डेर)

30/04/2022



65

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 28.03.2022 समय 11.00 एएम.

इस समय परिवारी श्री कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलू तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " निवेदन है कि मैं कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलू गंगाडी तहसिल औसिया जिला जोधपुर हाल तहसिल तिवरी का रहने वाला हूँ। दिनांक 24.02.2022 को मैं और मेरा दुर का भाई प्रेमराम मेरे बेटी ललीता के ससुराल राजसागर चामू बेटी को मिलने गये था। जिस पर मेरी बेटी सास रेखा व जवाई अशोक ने हमारे साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस थाना देचू की चामू चौकी से महीपाल विश्नोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला। इस घटना का मुकदमा संख्या 50/2022 पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज करवाया मेरे वह मेरे भाइयो के विरुद्ध मेरी बेटी की सासू ने मुकदमा संख्या 48/2022 पुलिस थाना देचू में दर्ज करवाया। इन दोनों मुकदमों की अनुसंधान श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक कर रहे है। श्री महीपाल अनुसंधान अधिकारी ने मेरे प्रकरण में मदद करने वह हमारे विरुद्ध दर्ज प्रकरण में धारा कमजोर करने की एवज में मुझसे 50,000(पचास हजार) रुपये डरा धमकाकर मांगे गए जिस पर मैं उनके दबाव में आकर 15000/-रुपये केश दिये एवम श्री महीपालसिंह के कहने पर उनके दलाल के खाते में पैटीएम से मैंने 6 मार्च 2022 को 4000/-एवम 8 मार्च 2022 को 20,000/-रुपये जमा करवाने पड़े। श्रीमान जी इसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी श्री महीपालसिंह मुझसे बार-बार रुपये की मांग कर रहा है एवम नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। मेरे साथ हुई मारपीट में दर्ज प्रकरण में कानुनी कारवाई करवाने एवम मेरे वह मेरे भाइयो के विरुद्ध दर्ज झुठे प्रकरण में सही अनुसंधान करवाने के लिए मैं श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना देचू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री महीपालसिंह से मेरे कोई दुश्मनी नहीं एवम ना ही कोई लेन देन बकाया है कानुनी कारवाई करवाए। मुकदमा नम्बर 50/22 एवम 48/22 पुलिस थाना देचू की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवम मेरे आधार कार्ड की प्रति दे रहा हूँ। श्री महीपाल सिं के मो0 नम्बर 7014341578 से मेरे मो0नम्बर 9001889623 पर हुई रिश्वत संबंधित वार्तालाप जो मेरे मो0 में रिकॉर्ड है उक्त रिकॉर्डिंग की सीडी पेश कर रहा हूँ। " परिवारी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री रामचन्द्र कानि0.432 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवारी श्री कुंभाराम को कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र कानि0 432 का परिवारी श्री कुंभाराम से आपसी में परिचय करवाया गया।

वक्त 12.40 पी.एम.पर परिवारी श्री कुंभाराम द्वारा उसके मो0न0.9001889623 से आरोपी श्री महीपाल एसआई के मो0न0.7014341578 पर कॉल लगाकर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से कॉल को रिकॉर्ड किया गया जिससे सामने आया कि आरोपी महीपाल राजकार्य से जोधपुर आया हुआ है एवं परिवारी को किशोर बाग, आरपीटीसी जोधपुर आने के लिए कहा है उक्त रिकॉर्ड की फर्द ट्रान्सक्रिप्शन नियमानुसार तैयार की जावेगी। वक्त 12.51 पी.एम. पर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्र कानि0.432 को सुपर्द कर परिवारी श्री कुंभाराम व आरोपी श्री महीपाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु परिवारी श्री कुंभाराम एवं श्री रामचन्द्र कानि 432 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से किशोर बाग, आरपीटीसी जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 2.15 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र कानि0 432 मय परिवारी श्री कुंभाराम के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आये और श्री रामचन्द्र कानि0 432 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मैं व परिवारी श्री कुंभाराम आज दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय से रवाना होकर किशोर बाग पेट्रोल पम्प पहुंचे। जहां पर मन् कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवारी श्री कुंभाराम को सुपर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु किशोर बाग आरपीटीसी की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवारी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपर्द किया जिसे मैंने ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व परिवारी ने मुझे बताया कि मेरे व महीपाल के बीच मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। जिस पर वहाँ से मैं और परिवारी रवाना होकर कार्यालय आए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो स्पष्ट हुआ कि



परिवादी श्री कुंभाराम के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में धारा हटाने और मदद करने की एवज में 41000 रुपये पूर्व में दिये गये जिसमें से 20000 रुपये दलाल अशोक के मार्फत महिपाल सहायक उप निरीक्षक के पास प्राप्त होने की बात स्पष्ट हुई है एवं अन्य प्रकरण में भी परिवादी के पक्ष में मदद करने की एवज में 15000 रुपये की मांग करना स्पष्ट हुआ है एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य की पुष्टि हुई। मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।

वक्त 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री कुंभाराम के मोबाईल न0 9001889623 पर दलाल अशोक के मोबाईल न0 7665116626 से कॉल आने पर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप में दलाल अशोक द्वारा परिवादी का सीधा महिपाल से सम्पर्क करने पर नाराजगी जाहिर करना एवम परिवादी से पूर्व में लिये गये दलाली के रूप में लिए गए पैसो को स्वीकार करना पाया गया आईन्दा उक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार की जावेगी। जिस पर परिवादी कुंभाराम को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि की व्यवस्था करना एवं अब तक की गोपनीय कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत कर एवं पुनः आरोपी से सम्पर्क होने पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।

दिनांक 29.04.2022 वक्त 8.30 पी.एम. पर कल सुबह 30.04.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यक होने पर सहायक अभियन्ता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को जरिए पत्रांक 875 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह पाबंद करने हेतु पत्र भिजवाया गया एवं ब्यूरो कार्यालय के स्टाफ को समय पर सुबह 10 ए.एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया उच्चाधिकारियों को सम्पूर्ण हालात निवेदन किए गए एवं कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को एवं ड्राईवर प्रेमसिंह के साथ समय 10 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

दिनांक 30.04.2022 वक्त 10.00 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ड्राईवर प्रेमसिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये एवं पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-3 जोधपुर से उपस्थित आए। जिनका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी बारी से अपना परिचय श्री जयेश गण्डेर पुत्र श्री पुखराज जी जाति मेघवाल उम्र 29 साल निवासी चांदपोल के बाहर, माता कुण्ड रोड, स्वास्तिक सदन, पुलिस थाना सूरसागर जिला जोधपुर हाल वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9588803756 तथा प्रमोद पायक पुत्र श्री ब्रजमोहन जी पायक जाति दर्जी उम्र 46 साल निवासी 41, इन्द्रा कॉलोनी, सती माता मन्दिर के पास, एयरपोर्ट रोड जोधपुर हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8829010970 होना बताया। जिस पर उपरोक्त गवाहान का परिचय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस से करवाया गया। वक्त 12.05 पी.एम पर परिवादी श्री कुंभाराम मय रिश्वत राशि के कार्यालय उपस्थित आया जिसका पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव एवं स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया एवं परिवादी कुंभाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को श्री मनीष वैष्णव सुपुर्द निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार निर्देशित किया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरविजन हेतु साथ उपस्थित रहा।

वक्त 12.10 पी.एम पर मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कुंभाराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़-सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 28.03.2022 को परिवादी श्री कुंभाराम एवं आरोपी श्री महिपाल एएसआई के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य-मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास में रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 12.30 पी.एम पर दोनों गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री कुंभाराम द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री कुंभाराम ने 15000 रुपये जो महिपाल एएसआई को व 5000 रुपये दलाल अशोक को दिये जाने हैं, को अलग अलग पुलिस निरीक्षक को पेश किए। जिस पर परिवादी श्री कुंभाराम ने भारतीय मुद्रा संदिग्ध अधिकारी दो होने से पृथक-पृथक दी जाने वाली राशि 15000 रुपये श्री महिपाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर को एवं



5000 रुपये दलाल श्री अशोक को दी जाने वाली कुल राशि 20,000 रुपये पेश किये। श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 15000/-रुपये एवं 5000 रुपये के नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटों पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कुंभाराम की जामा तलाशी गवाह श्री प्रमोद पायक से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9001889623 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15000 रुपये जो श्री महिपाल सहायक उप निरीक्षक को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी कुंभाराम के पहनी हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में एवं अन्य आरोपी दलाल श्री अशोक को दी जाने वाली राशि 5000 रुपये के नोटों को परिवादी श्री कुंभाराम के पहने हुए पेन्ट की बाई जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कुंभाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुएं एवं आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पृथक-पृथक निकाल कर देवे तथा आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या श्री मनीष पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपीगण के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे।

वक्त 1.50 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक मय परिवादी श्री कुंभाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432, श्री भंवरलाल कानि. 501, श्री गणेश कुमार कानि. 219 मय कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के तथा मन्. डॉ० दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु मय प्राईवेट वाहन मय चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव चामू के लिए रवाना हुए। वक्त 02.07 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक मय परिवादी श्री कुंभाराम, ब्यूरो जाब्ता के तथा मन्. डॉ० दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु मय प्राईवेट वाहन मय चालक के आर.पी.टी.सी मण्डोर जोधपुर के पास पहुंचे जहां पर वाहनो को रोड के किनारे खड़ा करवाकर परिवादी श्री कुंभाराम के मोबाईल न. 90011889623 से श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मोबाईल न.7665116626 पर स्पिकर ऑन कर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप करवाई तो दलाल अशोक ने परिवादी को बताया कि आज मेरे काम होने से आज मैं नहीं आ सकता हूं, मैं महिपाल जी से बात कर आपको बताता हूं। उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आइन्दा बनाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 02.17 पी.एम. पर श्री कुंभाराम के मोबाईल न. 90011889623 से श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मोबाईल न.7665116626 पर स्पिकर ऑन कर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप करवाई तो श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) ने परिवादी को बताया कि महिपाल जी सुबह तो देचू थाने में ही थे अभी उनका फोन बन्द आ रहा है। उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आइन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को रिश्वत राशि के साथ एस.ओ. के पास सीधा ही भेजने का निर्णय लेकर मय हमरायान के गांव चामू के लिए रवाना हुए। वक्त 03.10 पी.एम पर गांव तिंवरी पहुंचे जहां पर परिवादी की पूर्व में खड़ी की गई पिकअप गाड़ी में श्री रामचन्द्र कानि. 432 को परिवादी कुंभाराम के साथ गांव चामू के लिए रवाना कर उनके पिछे-पिछे निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनो के रवाना गांव चामू के लिए हुए।



वक्त 04.22 पी.एम पर श्री रामचन्द्र कानि0 432 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई की पुलिस चौकी चामू के पास पहुंच डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवारी श्री कुंभाराम को सुपुर्द करे तथा रिश्वत राशि लेन-देन का गोपनीय इशारा होने पर निरीक्षक पुलिस को सुचित कराने की हिदायत कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 मय परिवारी श्री कुंभाराम को पुलिस चौकी चामू के लिए मय परिवारी की पिक अप गाडी के रवाना किया गया। उनके पीछे पीछे निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनो के चामू गांव के बाहर से रवाना होकर बस स्टैण्ड चामू के आस पास परिवारी के गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम हुए।

वक्त 04.35 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहन के रवाना हो गांव चामू के बाहर खड़ी परिवारी श्री कुंभाराम की पिक अप गाडी के पास पहुंचा। जहा पर रामचन्द्र कानि0 432 ने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि पुलिस चौकी चामू के पास पहुंच परिवारी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द मय पिक अप गाडी के पुलिस चौकी चामू की तरफ रवाना कर मैं परिवारी के गोपनीय इशारे इंतजार में पुलिस चौकी चामू के आस पास खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवारी श्री कुंभाराम बगैर इशारा किये आपसे मिल कर मय पिक अप गाडी के मेरे पास आया। जिस पर मैं व परिवारी आपके निर्देशानुसार परिवारी श्री कुंभाराम की पिक अप गाडी से गांव चामू के बाहर पहुंचे जहा पर मैंने परिवारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। जिस पर उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा एवम् परिवारी श्री कुंभाराम ने निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान के बताया कि मैं पुलिस चौकी चामू पहुंचा जहा पर आरोपी श्री महिपाल स.उ.नि. चौकी में उपस्थित मिले। जो मुझे देखते ही अपनी मोटर साईकिल की तरफ रवाना हो गया मेने उसे कहा की मेरे मामले के सम्बन्ध में अशोक से बात हो गई तो उसने कहा कि तु जाने और अशोक जाने मुझे कोई लेना देना नहीं है, इतना कहकर आरोपी महिपाल स.उ.नि अपनी मोटर साईकिल लेकर चौकी से बाहर की तरफ रवाना हो गया। जिस पर इमरोज ट्रैप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवारी को पूर्व में सुपुर्द रिश्वत राशि 15,000 रु व 5,000 रुपये गवाह श्री जयेश गण्डेर से परिवारी श्री कुंभाराम की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी एवं बायी जेब से निकलवाकर उपरोक्त रिश्वत राशि 15,000 व 5,000 रुपये अलग अलग सफेद लिफाफो में डलवा कर उपरोक्त रिश्वती राशि के दोनों लिफाफे गवाह श्री जयेश गण्डेर के पास रहने दिये गये।

वक्त 04.45 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, रिश्वत राशि 15,000 व 5,000 रुपये अलग-अलग सफेद लिफाफो एवं परिवारी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के तथा मन् डॉ0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय चालक के, परिवारी श्री कुंभाराम मय उसकी पिक अप गाडी के गांव चामू के बाहर से रवाना जोधपुर के लिए हुए। वक्त 06.45 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, रिश्वत राशि 15,000 व 5,000 रुपये अलग अलग सफेद लिफाफो एवं परिवारी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के तथा मन् डॉ0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय चालक मय श्री कुंभाराम मय उसकी पिक अप गाडी के गांव चामू के बाहर से वक्त 04.45 पी.एम पर रवाना होकर वक्त 05.40 पी.एम गांव तिंवरी पहुंचे जहा पर परिवारी श्री कुंभाराम को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवारी कुंभाराम को मय पिक अप गाडी के ग्राम तिंवरी में छोड़कर निरीक्षक मय हमरायान के रवाना होकर कार्यालय स्पेशल यूनिट ए.सी.बी. जोधपुर पहुंचे। गवाह श्री जयेश गण्डेर से रिश्वत राशि 15,000 व 5,000 रुपये के अलग-अलग सफेद लिफाफे प्राप्त कर उपरोक्त रिश्वती राशि के दोनो लिफाफे निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर अलमारी की चाबी अपने पास रखी।

दिनांक 06.05.2022 वक्त 11.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 12.10 पी.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवारी श्री कुंभाराम कार्यालय उपस्थित आया एवं एक लिखित रिपोर्ट मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश की उक्त रिपोर्ट में दिनांक 02.05.2022 को परिवारी के मोबाईल पर श्री अशोक प्राईवेट दलाल का कॉल आया कि आप तो एसीबी को महिपाल की शिकायत कर रहे हो मैंने आपको सही समझा था लेकिन बहुत गलत निकले अब आप रुपये आपके पास रखे जो करना है जो कर ले ना हमने तो हमारा रास्ता निकाल लिया है अब श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति व महिपाल एएसआई को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई व अब महिपाल एएसआई मुझसे पैसा नहीं लेगा इसलिए अब अग्रिम कार्यवाही होना संभव नहीं है, का उल्लेख किया हुआ है।



उक्त रिपोर्ट को बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। तथा दिनांक 02.05.2022 को परिवारी श्री कुंभाराम व श्री अशोक प्राईवेट दलाल के मध्य मोबाईल पर हई वार्ता की सीडी पेश की। उक्त रिपोर्ट को बाद अवलोकन मय सीडी के शामिल रनिंग नोट किया गया।

वक्त 12:15 पी.एम. पर परिवारी श्री कुंभाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक के समक्ष निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवारी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 28.03.2022 रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता तथा परिवारी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 28.03.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप एवं परिवारी श्री कुंभाराम एवं श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य दिनांक 28.03.2022 रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बाद मोबाईल पर हुई वार्ता रिकॉर्ड है। परिवारी श्री कुंभाराम एवं श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य दिनांक 30.04.2022 रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता तथा परिवारी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 30.04.2022 को रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व रुबरु वार्तालाप रिकॉर्ड है उक्त वार्तालापो की दोनों गवाहान व परिवारी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवारी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता व रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप में परिवारी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू की होना बताया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बाद मोबाईल पर हुई वार्तालाप में परिवारी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) की होना बताया एवं रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व रुबरु वार्तालाप में परिवारी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक-एक सीडी को मूल मानते हुए कपडे की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन-तीन सीडीयां को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक-एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयो की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

अब तक की कार्यवाही से श्री महिपाल एसआई पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर द्वारा परिवारी कुंभाराम से अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)के मार्फत 20,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकारना एवं अन्य प्रकरण में भी परिवारी के पक्ष में मदद करने की एवज में आरोपी श्री महिपाल एसआई द्वारा 15000 रुपये रिश्वत राशि मांग करना तथा श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा परिवारी विरुद्ध दर्ज मुकदमें में श्री महिपाल स.उ.नि के मार्फत धारा हटाने और मदद करने की एवज में परिवारी कुंभाराम से अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा 41000 रुपये रिश्वत के रूप में स्वयं के एवम पुलिस अधिकारी के लिए प्राप्त करना स्वीकार करना इसमें से 20,000 रुपये परिवारी कुंभाराम से जरिये पेट्रीएम प्राप्त करना तथा स्वयं के हिस्से हेतु शेष 9000 रुपये रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जोधाराम जाति बिश्नोई उम्र 48 साल निवासी ग्राम सामराउ (भीमसागर) पुलिस थाना औसिया जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण व श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवम 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।




(डा० दुर्गसिंह राजपुरोहित)



## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री महिपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी चामू, पुलिस थाना देचु जिला जोधपुर ग्रामीण एवं 2. श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराराम निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्रईवेट व्यक्ति(दलाल) के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 213/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
31.5.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 1887-91 दिनांक 31.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

  
31.5.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।